उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

रिट याचिका (एस/एस) नं0 1798 वर्ष 2022

पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संघ..... .....याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य चुनाव आयोग द्वारा कमिश्नर

जिला देहरादून और अन्य.....उत्तरदाता

श्री नरेन्द्र बाली,..... याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री संजय भट्ट, ...प्रतिवादी के अधिवक्ता।

तारीखः 16.09.2022

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

मौजूदा याचिका में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए अनुरोध किया हैः–

(i) प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा बैंक कर्मचारीगण को दिनांक 03.09.2022 को जारी आक्षेपित त्रिस्तरीय चुनाव करवाने सम्बन्धी संसूचना (जो संलग्नक 1 के रूप मे इस रिट पिटीशन मे संलग्न है) को रद्द करते हुए उत्प्रेक्षा की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(ii) प्रत्यर्थी संख्या 03 को परमादेश देने और निर्देश देने की प्रकृति में एक रिट, परमादेश या निर्देश जारी करने कि वह हरिद्वार मे होने वाले त्रिस्तरीय आम पंचायत चुनाव 2022 के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र को वापस ले जिसके माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक के कुल 377 कर्मचारियों को पंचायत चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया है।

(iii) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश पारित करें, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझ सकता है।''

2. सिद्धांत रूप में, दिनांक 03.09.2022 की संसूचना को चुनौती दी गयी है, क्योंकि इसे जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पारित किया गया था, जिसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग 2022 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संचालन के प्रयोजनों के लिए करने की मांग की गई है। पंचायतों का गठन की परिकल्पना दिनांक 24.04.1993 को शामिल संविधान के 73वें संशोधन से संवैधानिक अधिदेश के रूप मे की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप उसे संविधान के भाग 9 को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 (घ) के तहत, यह ''पंचायत'' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। संविधान के तहत यहाँ पंचायतों का अर्थ होगा वे पंचायतें जो अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित स्थानीय स्वशासन का एक निकाय हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–बी का उल्लेख नीचे किया गया है:–

> **''243 बी। पंचायतों का गठन**
>
> (1) इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में, गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।
>
> (2) खंड (1) में किसी बात के होते के बावजूद बीस लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है।

3. इसमें विभिन्न स्तरों गांव, तालुका व जिले स्तर पर पंचायतें शामिल हैं। पंचायतों के चुनाव को उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम, 2016 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है, और विशेष रूप से, अधिनियम 2016 के अध्याय 25 की धारा 131 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार पंचायत के चुनाव, जैसा कि इसकी प्रयोज्यता में अधिसूचना संख्या **152/XXXVI** दिनांकित 10.06.2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि पंचायतों के चुनाव की आदेशिका से संबंधित सभी विषय ''राज्य निर्वाचन आयोग और जिला मजिस्ट्रेट'' के पर्यवेक्षण और नियंत्रण मे होंगें जो जिलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और यहां तक कि पंचायतों के सदस्यों के सभी चुनावों का पर्यवेक्षण और संचालन करेगा।

4. राज्य निर्वाचन आयोग, जिसे पंचायतों के चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, का अर्थ होगा एक निकाय जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है, जो कि ''राज्य निर्वाचन आयोग'' के गठन का प्रावधान करता है, जो पंचायतों और ऐसे अन्य निकायों के चुनाव के संचालन के

उद्देश्यों के लिए गठित एक निकाय है, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनियमित किया जाना है।

5. 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के मे निहित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना है, जिला चुनाव अधिकारी को परिभाषित करता है जिसका अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13ए के तहत नामित अधिकारी होगा। 1951 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ''राज्य चुनाव आयोग'' भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–बी के तहत पंचायतों के विभिन्न स्तरों के चुनाव के संचालन के उद्देश्यों के लिए अधिनियम के तहत गठित एक निकाय होगा।

6. याचिकाकर्ता ने अपनी मौजूदा रिट याचिका में अपनी शिकायत मे प्रत्यर्थी सं. 2 जिला निर्वाचन अधिकारी के आक्षेपित आदेश दिनांकित 03.09.2022 के विरुद्ध जोर दिया है, जिसके द्वारा, त्रिस्तरीय पंचायत स्तर के निर्वाचन के संचालन के प्रयोजनों के लिए, पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की सेवाएं पंचायत निर्वाचनों के संचालन के लिए उपयोग करने के लिए प्राप्त की गई थीं।

7. पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति एक बैंकिंग एजेंसी की होगी, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों द्वारा बनाई गई है, जो भारत में बैंकिंग के व्यवसाय का लेन–देन करने का हकदार है और इसमें धारा 2 (5) के तहत ''बैंकिंग कंपनी'' का वर्णन किया गया है। जिन बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त है और जो राज्य का एक साधन है, उन्हें बैंकों की अनुसूची में शामिल किया गया है, जिन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत एक बैंकिंग कंपनी माना जाता है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक इसके साधन के रूप में आता है।

8. यहां तक कि अन्यथा भी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अलावा, यदि भारत के संविधान की धारा 246 को ध्यान में रखा जाता है तो उन क्षेत्रों को जिस पर राज्य या केंद्र द्वारा कानून बनाया जा सकता है, बैंकिंग को संविधान की 7 वीं अनुसूची की संघ सूची की सूची 1 की प्रविष्टि 45 में शामिल किया गया है और उस स्थिति मे भारत के संविधान और बैंकिग विनियमन अधिनियम के सामन्जस्यपूर्ण

निर्वचन, जो कि प्रत्यर्थी संख्या 03 के अस्तित्व की उत्पत्ति होने के कारण, यह राज्य का एक साधन बन जाता है जैसा कि इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। आक्षेपित आदेश को मौजूदा याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि ''सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक'', लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 159 के तहत परिभाषित ''स्थानीय निकाय'' नहीं होंगे। आइये हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 159 के तहत के तहत निहित प्रावधानों पर वापस लौटें, जो यहां उद्धृत किया गया है:–

धारा 159. प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

धारा 159. चुनाव कार्य के लिए कुछ प्राधिकरणों के कर्मचारियां को उपलब्ध कराया जाना।–

(1) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अनुच्छेद 324 के खंड (4) के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय आयुक्त या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर, किसी निर्वाचन अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे जो किसी निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्

(i) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण;

(ii) केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय;

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित एक सरकारी कंपनीय

(iv) कोई अन्य संस्थान संस्था या इकाई जो केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है या जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा नियंत्रित या पूरी तरह से वित्तपोषित है।

9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर चुनाव कार्य के संचालन के उद्देश्य से उपलब्ध कराई जाने वाले कुछ प्राधिकरणों के कर्मचारियों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए शक्तियों के प्रयोग की सीमा को धारा 159 के उपधारा 2 के तहत उप–वर्गीकृत किया गया था। प्राधिकरण, जिनसे सेवाएं प्राप्त की जा सकती थीं, उन्हें उपधारा 2 के तहत दिया गया था, जो कि स्थानीय निकायो के अतिरिक्त उपधारा 2 के खण्ड 4 मे कोई संबंधित संस्थान या कोई निकाय शामिल है जो धारा 159 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण होगा जो केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या उसके अधीन हैं या जो राज्य या केंद्र द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा पूरी तरह से या पर्याप्त रूप से नियंत्रित या वित्तपोषित है। प्रतिवादी नं. 3 जैसा कि ऊपर जो अवलोकन किया गया है, उसे ध्यान

में रखते हुए वह धारा 159 की उपधारा 2 के उपखंड 4 के दायरे में आने वाला प्राधिकारी होगा। इसलिए, उन्हें चुनाव कार्य के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए छूट नहीं दी जा सकती है, जिसे धारा 159 की उपधारा 1 के तहत लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

10. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने अपने इस तर्क को साबित करने के लिए, कि बैंकिंग कंपनी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा के भीतर नहीं आएगी **(2016) 1 यू. डी. 446** मे रिपोर्ट इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा दिए गए निर्णय **कुलसचिव गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और अन्य** का संदर्भ दिया है जो पंचायती राज अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों के चुनाव के संचालन के संबंध मे था। यदि इस निर्णय को समग्र रूप से विचार में लिया जाए तो यह याचिकाकर्ता गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की व्युत्पन्न सेवाओं के निष्कासन के प्रयोजनों के लिए था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159 की उपधारा 2 के अधीन उपबंधों के संदर्भ में इस पर विचार नहीं किया गया है और न ही याचिकाकर्ता की स्थिति पर ही विचार किया गया है कि क्या याचिकाकर्ता राज्य का एक साधन होगा, जिसकी सेवाएं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा धारा 159 की उपधारा 2 की उपधारा 4 के अधीन उपबंधों के आलोक में तीन स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के संचालन के लिए प्राप्त की जा सकती हैं।

11. अतः, उस स्थिति में, वह स्थिति, जिस पर उक्त निर्णय में विचार किया जा रहा था, इनक्यूरियम के अनुसार होगी, क्योंकि न्यायालय ने इस विवाद पर विचार नहीं किया है कि धारा 159 की उपधारा 2 में याचिकाकर्ता की सेवाओं को प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए क्या निहितार्थ होगा, जो कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है। इसलिए, यह निर्णय धारा 159 की उपधारा 2 के निहितार्थ पर विचार किए जाने की अनुपस्थिति में में लागू किया जाएगा, जिसमें न केवल विशेष रूप से स्थानीय प्राधिकरण शामिल है, बल्कि इसमें धारा 159 की उपधारा 2 के उपखंड 4 के तहत आने वाली अन्य राज्य एजेंसियां भी शामिल हैं, जो इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा नहीं देखा गया था। इसलिए, वही लागू नहीं होगा।

12. एक अन्य निर्णय जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भ दिया गया है, वह निर्णय है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, जैसा कि **(1995) सुप. (2) एससीसी 13, भारतीय चुनाव आयोग बनाम भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संघ स्थानीय मुख्य कार्यालय इकाई और अन्य** में रिपोर्ट किया गया है। हालाँकि, यह निर्णय भारतीय स्टेट बैंक के संबंध में था, फिर भी पैराग्राफ 5 में, विवाद को केवल धारा 159 की उपधारा 2 के संदर्भ में निपटाया गया था। निर्णय में इस बात पर विचार नहीं किया गया है और न ही इस बारे में कोई अवलोकन किया गया है कि धारा 159 की उपधारा 2 के उपखंड 4 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम के साथ–साथ संविधान के तहत आने वाली बैंकिंग एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए क्या निहितार्थ होगा, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। उस स्थिति में, बैंकिंग कंपनी के कर्मचारियों की सेवाओं को प्राप्त करने का बहिष्कार, उन निहितार्थों के प्रकाश में, जिन पर तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, यह धारा 159 (1) के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में था, जबकि, ''स्थानीय प्राधिकरण'' शब्द को क्या निष्कर्ष और व्याख्या दी जाएगी, इस बारे में व्याख्या करना धारा 159 की उनधारा 2 के उपखंड 4 के तहत प्रदान की गई एजेंसियों द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के लिए खुले दायरे के संदर्भ में इसके विचार की अनुपस्थिति में में यहां लागू नहीं होगा। उस स्थिति में, यह न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी बैंक के कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पारित 03.09.2022 का आक्षेपित आदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत शक्तियों के प्रयोग के अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर था, जिसे संवैधानिक जनादेश के साथ–साथ पंचायत राज अधिनियम की धारा 131 के प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए, जैसा कि 2000 में किए गए संशोधन द्वारा लागू किया गया था। इसलिए, रिट याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार उसे खारिज कर दिया जाता है।

13. अंत में, याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि धारा 159 के निहितार्थ पंचायत चुनाव के प्रयोजनों के लिए आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि यह 1951 के अधिनियम के तहत परिभाषित चुनावों पर लागू होने तक सीमित होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को ऐसे किसी प्रावधान के अभाव मे इस प्रकार के अर्थो

मे नहीं पढ़ा जा सकता कि वह पंचायत चुनावों मे सेवाये लेने के प्रतिबन्धित करता हो, जैसा कि संविधान का जनादेश है। एक अधिनियम जिसकी उत्पत्ति संविधान से हुई है, जो सभी विधियों का जनक है, उसे विधानमंडल के सदनों के संबंध में चुनाव के प्रयोजनों के लिए लागू करने के लिए सीमित करने के लिए पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसे चुनाव की परिभाषा में निर्दिष्ट किया गया है, विशेष रूप से, जब अनुच्छेद 243 के तहत किए गए संशोधन के बाद, पंचायतों का चुनाव, यह इस तथ्य के कारण भी एक संवैधानिक जनादेश है कि पंचायतों को भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत अनुसूची 7 की सूची 2, प्रविष्टि 5 के तहत शामिल किया गया है। अतः यह तर्क भी इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य नहीं है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

14. उपर्युक्त अवलोकन को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित ठहराया जा रहा है कि संविधान के तहत, जिसने अपने अध्याय 9 में पंचायतों के लिए प्रावधान किया है, उसने पंचायतों को पंचायतों के मामलों के प्रबंधन के लिए एक स्थानीय स्व निकाय की संस्थापन के रूप में परिभाषित किया है, जैसा कि उसमें वर्णित है और इसलिए यह भारत के संविधान की अनुसूची 7, सूची 2 के अंतर्गत आएगा।

15. उपर्युक्त कारणों से, रिट याचिका में गुण–दोष का अभाव है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.।)